(151)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निग – 188 – III – 16

प्रकरण क्रमांक /2016 पुनरीक्षण

1. देवी सिंह पिता काशीराम सुतार
2. यशोदा बाई पत्नी जगदीश सिंह चौरस्या

निवासीगण ग्राम–बमौरी तहसील–पचौर

जिला–राजगढ़

श्री ... द्वारा आज दि. ... को प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र.

विरूद्व

1. बलराम सिंह
2. भगवत सिह
3. राजेन्द्र सिंह पुत्रगण प्रहलाद सिंह राजपुत
4. रमेश पिता नारायण सिंह
5. कृष्णा बाई पुत्री नारायण सिंह
6. मोड़ सिंह पिता मांगीलाल चौरस्या
7. रामकुंवर बाई पत्नी शिव (कलाल)
8. रंगलाल उर्फ कमल पुत्र शिव कलाल
9. उमा बाई पुत्री शिव कलाल
10. पप्पू पुत्र शिव कलाल
11. पुरन पिता खुमान बृजा

निवासीगण ग्राम–बमौरी तहसील–पचौर

जिला–राजगढ़

18-1-16

नायब तहसीलदार टप्पा तलेन द्वारा प्रकरण क्रमांक 04/14–15 में पारित आदेश दिनांक 05–01–2016 के विरूद्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है–

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाहीं अवैध, अनुचित एवं अनियमित **होकर निरस्त किये** जाने योग्य है.

(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–188–तीन/2016 — जिला–राजगढ़

देवी सिंह व अन्य विरूद्ध बलराम सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22–08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी नायब तहसीलदार टप्पा तलेन, जिला–राजगढ़ के प्रकरण क्रमांक 04/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 05–01–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–राजगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 09–10–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	